संख्या–1033 /XX–2/2022–5(5)/2022

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कमाण्डेण्ट जनरल, होमगार्ड्स,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

गृह अनुभाग–2

देहरादून : दिनांक 10 जून, 2022

विषय– होमगार्ड स्वयंसेवकों को मंहगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या–31954, 31955, 31956 में मा0 उच्चतम् न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.07.2019 के अनुपालन में शासनादेश संख्या–1173/XX(5)/19–11(रिट)/2018, दिनांक 24.12.2019 द्वारा होमगार्ड्स स्वयंसेवकों को 30 दिन के माह के आधार पर रू0 600/– (रू0 छः सौ मात्र) प्रतिदिन ड्यूटी भत्ता स्वीकृत किया गया। मा0 उच्चतम न्यायालय के उक्त आदेश का पूर्णत अनुपालन न किये जाने के सम्बंध में मा0 उच्चतम न्ययालय, नई दिल्ली में योजित अवमानना वाद संख्या 125/2022 विरेन्द्र सिंह रावत बनाम श्री सुखबीर संधू व अन्य में उल्लिखित तथ्यों के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त् मा0 उच्चतम् न्यायालय के उपरोक्त आदेश दिनांक 30.07.2019 के अनुपालनार्थ होमगार्ड्स स्वयंसेवकों को दिनांक 25.04.2017 से मंहगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2– इस क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि होमगार्ड्स स्वयंसेवकों को शासनादेश दिनांक 24.12.2019 द्वारा अनुमन्य ड्यूटी भत्ता रू0 600/– (रू0 छः सौ मात्र) के साथ दिनांक 25.04.2017 से मंहगाई भत्ता स्वीकृत किये जाने एवं दिनांक 25.04.2017 से वर्तमान तक समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मंहगाई भत्ते के अनुसार एरियर का भुगतान करते हुए भविष्य में राज्य सरकार द्वारा डी0ए0 में अग्रेत्तर वृद्धि के अनुरूप होमगार्ड्स स्वयंसेवकों के डी0ए0 में भी वृद्धि किये जाने की निम्न प्रतिबन्धों/शर्तो के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1–मा0 उच्चतम् न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश के समादर में राज्य के राजकीय कार्मिक को समय–समय पर देय मंहगाई भत्ते के अनुरूप होमगार्ड्स स्वयंसेवकों को 30 दिन के माह के आधार पर प्रतिदिन की गणना करते हुए तदनुसार मंहगाई भत्ते का भुगतान किया जायेगा।

2–यातयात/यात्रा सीजन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक की मांग पर होमगार्ड्स स्वयंसेवकों की जो ड्यूटी लगाई जाय, वह अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था की संस्तुति पर लगाई जायेगी।

3–नये होमगार्ड्स स्वयंसेवकों को ट्रेनिंग के उपरान्त अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थल पर ड्यूटी देने से पूर्व अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था की सहमति प्राप्त कर ली जायेगी। कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अपने स्तर से होमगार्ड स्वयंसेवकों को ड्यूटी आवंटित की जायेगी।

4–सार्वजनिक/राजकीय अवकाश के दिनों में होमगार्ड्स स्वयंसेवकों की ड्यूटी नहीं लगायी जायेगी। मात्र कानून व्यवस्था/दैवीय आपदा/यात्रा सीजन एवं सुरक्षा

सम्बन्धी कार्यो हेतु जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की संस्तुति पर ही ड्यूटी लगायी जायेगी।

5–कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की यह वैयक्तिक जिम्मेदारी होगी कि वे होमगार्ड्स स्वयंसेवक द्वारा सम्पादित वास्तविक ड्यूटी अवधि का ही सत्यापन/भुगतान करेंगे।

6–कमाण्डेन्ट जनरल, होमगार्ड्स, उत्तराखण्ड द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि विभागीय बजटीय सीमा के अन्तर्गत ही होमगार्ड्स स्वयंसेवकों को ड्यूटी पर रखा जाय। ड्यूटी वेतन के सम्बन्ध में किसी भी वित्तीय वर्ष की देयताएं आगामी वित्तीय वर्ष हेतु अग्रेनीत नहीं की जायेगी।

7–होमगार्ड्स स्वयंसेवकों को होमगार्ड्स अधिनियम में वर्णित कार्य/आपातकालीन ड्यूटी/कानून व्यवस्था/शान्ति व्यवस्था/यातायात/दैवीय आपदा से इतर ड्यूटी पर नहीं लगाया जायेगा। उक्त कार्यो से इतर कार्यो में सम्बद्ध होमगार्ड्स स्वयंसेवकों को हटाया जायेगा। नियमों से इतर ड्यूटी दिये जाने पर सम्बन्धित विभागाध्यक्ष स्वयं उत्तरदायी होंगे।

3– उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष के अनुदान संख्या–06 लेखाशीर्षक 2070–अन्य प्रशासनिक सेवायें–00–आयोजनेत्तर–107–होमगार्ड्स–03–सामान्य अधिष्ठान के मानक मद 02–मजदूरी के नाम डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के अशासकीय संख्या–I/41973/2022, दिनांक 10 जून, 2022 द्वारा प्रदत्त सहमति के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव

संख्या– /XX–2/2022–5(5)/2022, तद्दिनांक

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– अपर मुख्य सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी/ऑडिट, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– मण्डलायुक्त, कुमांऊ/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
4– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5– समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
6– समस्त जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड, उत्तराखण्ड।
7– बजट राजकोषीय नियोजन व संसाधान निदेशालय सचिवालय, देहरादून।
8– साईबर ट्रेजरी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9– समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10– वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग–5, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,